सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 चैत्र 12, गुरुवार, शाके 1948– अप्रेल 2, 2026 अंक 1
Vol. 78 Chaitra 12, Thursday, Saka 1948–April 2, 2026 No. 1

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र
(नियम 8 राजस्थान सेवा नियन, वित विभाग के आदेश सं.एक. 1 / 12 / एफ.डी.ई.आर.–187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में)

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता संदीप पूनिया / (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व भादर सिंह (पुराना नाम) कहलाता था / कहलाती थी एवं जो पशुधन निरीक्षण (LSI) (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में पशुपालन विभाग, चुरू (स्थान जहाँ राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था / थी, एतद्द्वाराः–

(1) स्वयं तथा मेरे मेरे पति / पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम भादर उपनाम सिंह (सिर्फ) को त्यागता / त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम संदीप तथा उपनाम पूनिया ग्रहण करता / करती हूँ– एवं इसलिए मैं, मेरे ही पत्नी बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम ... (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम .. द्वारा जाने जाए।

(2) उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता / करती हूँ कि में एतद् पश्चात् सभी, समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखमा प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियां व्यवहारी एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम भादर सिंह तथा उपनाम सिंह (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में संदीप पूनिया नाम के रूप में तथा पूनिया उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा / करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा / करूंगी।

(3) स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी / पति मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम संदीप उपनाम पूनिया के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता / करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम भादर सिंह तथा संदीप पूनिया का वर्णन किया है तथा दिनांक 30.12.2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम संदीप पूनिया द्वारा जो पूर्व में भादर सिंह कहलाता था / कहलाती थी हस्ताक्षर किये है।

साक्षी

1. सोमवीर झांझडिया, पशुधन निरीक्षक
2. सतीश कुमार, पशुधन निरीक्षक

हस्ताक्षर
(नया नाम)– संदीप पूनिया
(पुराना नाम)– भादर सिंह

प्रतिहस्ताक्षर
सुनिल कुमार नेहरा
30.12.2026
संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, चूरू।

36744
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।